राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)

Telefax:0141–2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःपीआरओ/डीएलबी/2016/5907–6097 दिनांक :28.04.2017

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त राजस्थान

विषयः– मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत शहरी जन कल्याण शिविर 10 मई, 2017 से 10 जुलाई, 2017 के प्रचार–प्रसार के संबंध में।

जैसा कि विदित है शहरी जन कल्याण योजना के तहत नगरीय निकायों से जुड़ी आमजन की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में 10 मई, 2017 से 10 जुलाई, 2017 तक शहरी जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा शिविरों में किये जाने वाले कार्यो/प्रकरणों की जानकारी के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए निर्देशित किया गया है।

विभाग द्वारा शहरी जन कल्याण शिविरों के होर्डिंग्स/यूनीपोल के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए तैयार करवाई गई डिजाईन CDR व JPG में भिजवाई जा रही है। सभी नगरीय निकाय उक्त डिजाईन के फ्लैक्स तैयार करवाकर होर्डिंग्स/यूनीपोल पर अपने–अपने नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों, निकाय कार्यालय एवं शिविर स्थलों पर आवश्यक रूप से लगवाये जायें एवं इनके फोटो खींच कर स्थानीय निकाय निदेशालय की ई–मेल dlbrajasthan@gmail.com पर भिजवाये जाये है। कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें एवं किये गये कार्य से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एंव संयुक्त सचिव

क्रमांकःपीआरओ/डीएलबी/2017/6098–6108 दिनांक : 28.04.2017

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, को पत्र भेज कर लेख है कि प्रचार–प्रसार के उक्त कार्य को सुनिश्चित करावें।
4. IT Cell निदेशालय को विभागीय वेबसाई पर अपलोड एवं समस्त नगरीय निकायों को ई–मेल करने हेतु।
5. सीएमआर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

जनसम्पर्क अधिकारी

राजस्थान सरकार

श्री श्रीचंद कृपलानी
माननीय मंत्री
स्वायत शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार

!! शुभारंभ !!

बुधवार 10 मई, 2017

श्रीमती वसुन्धरा राजे, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत
शहरी जन-कल्याण शिविरों
का आयोजन (10 मई 2017 से 10 जुलाई 2017 तक)

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों व नगरीय निकाय से जुड़े आमजन के दिन-प्रतिदिन के कार्यों एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

:: शिविरों में किये जाने वाले कार्य ::

- कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन
- सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत आवासीय निर्माणों का नियमन
- स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे जारी करना
- कच्ची बस्ती नियमन के संबंध मे।
- खांचा भूमि का आवंटन
- निकायों के द्वारा नीलाम/आवंटन किये गये भूखण्डों के बढ़े हुये क्षेत्रफल का नियमन
- भवन मानचित्र अनुमोदन
- 31 दिसम्बर 2015 से पूर्व 90 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर बने आवासों के सेटबेक का नियमन
- भूखण्डो के नाम हस्तान्तरण
- भूखण्डों के पुर्नगठन/उप विभाजन तथा भवन निर्माण अनुमति जारी करना
- बकाया लीज एवं नगरीय विकास कर की ब्याज व शास्ति की राशि में छूट देकर वसूली
- एक मुश्त लीज जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना
- सिवाय चक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण
- आवासीय क्षेत्रों/कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनियों के भीतर गैर-आवासीय गतिविधियों का नियमतिकरण
- सीलिंग अधिनियम, अल्सर अधिनियम, भू-स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम, बेरी आयोग, दवे आयोग एवं कस्टोडियन भूमियों से प्रभावित योजनाओं में नियमन
- विभिन्न विभागों यथा राजस्थान आवासन मण्डल, सार्वजनिक निर्माण विभाग एंव अन्य विभागों द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का नियमितिकरण।
- प्राधिकरणों/न्यासों के क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतो को आबादी हेतु भूमि आवंटन
- ई. डब्ल्यू. एस./एल. आई. जी. / 60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों का आवंटन बहाल करना
- हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत् आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डधारी से लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए ऋण से जुड़ा अनुदान योजना हेतु आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना। वार्ड में बेघर व्यक्तियों/परिवारों की पहचान कर आवास/आश्रय स्थल हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
- गाडिया लुहारों, राजस्थान राज्य विमुक्त, घूमन्तु एवं अर्द्धघूमन्तु जातियों को 50 वर्गगज भूमि का नि:शुल्क आवंटन
- भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में विकसित भूमि का विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने और ऐसे प्रकरणों के निस्तारण किये जाने बाबत
- जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाना एवं जन्म-मृत्यु पंजीयन
- स्वच्छता अभियान के लिये जनजागरूकता एवं विकास कार्य, शहर को खुले में शौच मुक्त किये जाने के लिए व्यक्तिगत शौचालय हेतु घरेलु ईकाई को चिन्हिकरण कर स्वीकृति जारी करना।
- सामुदायिक शौचालय स्थल का चिन्हिकरण एवं स्वीकृति जारी करना।
- शहर को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु व्यक्तिगत शौचालय हेतु घरेलु ईकाई को चिन्हिकरण कर स्वीकृति जारी करना।
- सीवरेज कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना, स्वीकृति जारी करना एवं कनेक्शन किया जाना।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सैल्फ-हेल्प ग्रुप का गठन, स्किल ट्रेनिंग के लिए युवाओं का चयनीकरण एवं आवेदन प्राप्त करना, स्व-रोजगार हेतु ऋण दिलवाने बाबत् आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना।
- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की क्रियान्विति के लिए बावड़ियों/जल स्त्रोतों का चयन तथा वर्षा जल संग्रहण संरचना निर्माण हेतु राजकीय भवनों का चयन एवं आवश्यक स्वीकृति जारी करना।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने हेतु आय प्रमाण-पत्र जारी करना एवं योजनायें तैयार करना।
- सड़क मार्गाधिकार निर्धारण।
- पार्को एवं अन्य सुविधा क्षेत्रों का सीमांकन करना।
- राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अन्य कार्य।

दो दिवसीय शिविर के प्रथम दिन, किये जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित आवेदन पत्र प्राप्त कर उनका परीक्षण एवं अन्य सम्बन्धित कार्यवाही की जाकर शिविर के दूसरे दिन स्वीकृतियां जारी की जायेंगी।

अधिक जानकारी के लिये अपने क्षेत्र के नगरीय निकाय से सम्पर्क करें। वेबसाईट: http://lsg.urban.rajasthan.gov.in, http://udh.rajasthan.gov.in

नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रकाशित

राजस्थान सरकार

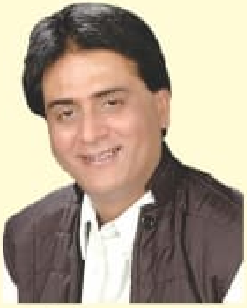

श्री श्रीचंद कृपलानी
माननीय मंत्री
स्वायत शासन, नगरीय विकास एवं
आवासन विभाग, राजस्थान सरकार

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों व नगरीय निकाय से जुड़े
कार्यों एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत

शहरी जन-कल्याण शिविरों

का आयोजन (10 मई 2017 से 10 जुलाई 2017 तक)

शिविरों में आएं
अपनी समस्या का समाधान करवाएं

श्रीमती वसुन्धरा राजे
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

श्री श्रीचंद कृपलानी
माननीय मंत्री
स्वायत शासन, नगरीय विकास एवं
आवासन विभाग, राजस्थान सरकार

!! शुभारंभ !!

बुधवार 10 मई, 2017

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत

शहरी जन-कल्याण शिविरों

का आयोजन (10 मई 2017 से 10 जुलाई 2017 तक)

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों व नगरीय निकाय से जुड़े आमजन के दिन-प्रतिदिन के कार्यों एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार

स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रकाशित

श्रीमती वसुन्धरा राजे
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार

श्री श्रीचंद कृपलानी
माननीय मंत्री
स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों व नगरीय निकाय से जुड़े कार्यों एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत

शहरी जन-कल्याण शिविरों

का आयोजन (10 मई 2017 से 10 जुलाई 2017 तक)

शिविरों में आएं
अपनी समस्या का समाधान करवाएं

नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रकाशित

राजस्थान सरकार

!! शुभारंभ !!

बुधवार 10 मई, 2017

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत

शहरी जन-कल्याण शिविरों

का आयोजन (10 मई 2017 से 10 जुलाई 2017 तक)

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों व नगरीय निकाय से जुड़े
आमजन के दिन-प्रतिदिन के कार्यों एवं समस्याओं के
त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

श्री श्रीचंद कृपलानी
माननीय मंत्री
स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं
आवासन विभाग, राजस्थान सरकार

श्रीमती वसुन्धरा राजे
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रकाशित

राजस्थान सरकार

श्रीमती वसुन्धरा राजे
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार

श्री श्रीचंद कृपलानी
माननीय मंत्री
स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं
आवासन विभाग, राजस्थान सरकार

!! शुभारंभ !!

बुधवार 10 मई, 2017

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत

शहरी जन-कल्याण शिविरों

का आयोजन (10 मई 2017 से 10 जुलाई 2017 तक)

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों व नगरीय निकाय से जुड़े आमजन के दिन-प्रतिदिन के कार्यों एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रकाशित